विचार बिन्दु

दंड अन्यायी के लिए न्याय है। –अगस्तियन

नेता गैर कानूनी काम करने वालों के साथ भी खड़े दिखते हैं!

पहले चुनावी नारों में पूछा जाता था आपका नेता कैसा हो, तो जवाब में लोगों का समूह चिल्लाता था फलां नेता जैसा हो। अब ऐसे नारे नहीं सुनाई पड़ते क्योंकि राजनीति में अब वैसे नेता होते ही नहीं जिन पर अभिमान किया जा सके या उनका अनुशरण किया जा सके। अब तो बद-दिमाग बाहुबलियों और किसी को कुछ न समझने वालों का समय है। युवावस्था में धौंस-पट्टी करते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने का जतन किया जाता है। एक बार विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत कर मिलने आये एक युवा से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि उसने छात्रसंघ का चुनाव क्यों लड़ा, तो उसका मासूम जवाब था कि वह राजनीति में आना चाहता है और आगे चलकर एमएलए बनना चाहता है। ऐसा ही एक बार यूनिसेफ ने पंचायतों में पहली बार जीतकर आयीं महिला पंचों की एक कार्यशाला रखी जिसमें बहुत सी युवा लड़कियां थी - कुछ जींस पहने भी। वहां सबसे एक सवाल पूछा गया कि वे क्यों इस पद की आकांक्षी हुईं, तो सभी का सहज जवाब था कि वे अब सरकार में अपने परिवार और दूसरे अपने लोगों के काम करवा सकेंगी। ऐसा वे इसलिए बोल गईं क्योंकि उनका राजनीति में परिपक्व होकर यह कहना सीखना कि हम अपने क्षेत्र तथा आमजन के कल्याण के लिए आये हैं बाकी था। लोक कल्याणकारी राज्य की बात भी शायद इसीलिए अब नहीं की जाती। वह ज़माना गया जब अर्थशास्त्री मानते थे कि लोक कल्याणकारी राज्य में तो बजट घाटे का ही होगा और प्रशासनिक खर्चे कम करके विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। मगर अब सब कुछ उलट गया। अब सरकार हर सेवा का शुल्क लेकर अपना मुनाफा बढ़ाती है और अपने अमले पर खर्च बढ़ाती जाती है। अब राजनीति सेवा का व्रत नहीं एक पेशा बन गई है और राजनेता पेशेवर। राजनेता सफल होने के लिए पेशेवर व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाएं भी लेने लगे हैं। व्यावसायिक एजेंसियां उनके लिए जन-संपर्क का काम करती हैं। और तो और पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के संस्थानों में विभिन्न माध्यमों पर प्रचार के हुनर सिखाए जाने लगे हैं और जनसंचार के आधुनिक साधनों के विषय में डिग्रियां भी दी जाने लगी हैं ताकि छात्रों को बाद में इस क्षेत्र में रोज़गार मिल सके। कॉर्पोरेट जगत ने पत्रकारिता और राजनीति को भी अपने पाश में बांध लिया है। राजनीति के ऐसे नये माहौल में निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी राजा-महाराजाओं या सीईओ जैसा व्यवहार करने लगे हैं तो क्या आश्चर्य है। वे समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में निर्वाचित हो जाने पर अब वे ही कानून हैं। वे अपनी राजनीति को चमक देने के लिए कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े नज़र आते है। अखबारों में और सोशल मीडिया पर विडिओ के साथ ऐसी खबरें आम पाई जाती हैं कि कोई विधायक साहब लोगों के समूह के सामने सरकारी कर्मचारियों को फटकारते हैं या फोन पर किसी अफसर को डांटते-फटकारते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे सारा प्रशासन खराब है और जन प्रतिनिधि जिनकी तरफदारी में खड़े दिख रहे हैं वे सब दूध के धुले हैं और पीड़ित हैं। यह भी सब जानते हैं कि इन पीड़ितों में वे भी होते हैं जो कानून तोड़ते हुए कोई भवन खड़े कर रहे होते हैं और वे भी होते हैं जिन्होंने खाली पड़ी सरकारी जमीन या पड़ोसी के जमीन पर कब्जा किया हुआ होता है। उनकी तरफदारी करते हुए वे अपने को रोबिनहुड की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनमें अनेक सांप्रदायिक दावानल भी उगलते हैं।

प्राचीन या मध्यकालीन राजतंत्र में राजाशाही अधिकारों के आधार पर शासन चलता था। वह वंश, रिश्तेदारियों तथा लेन-देन आधारित होता था। दरबार के लोग तथा उनके मातहत कारिंदे सामंतों की कृपा पर आश्रित रहते थे तथा सामंत राजा की कृपा पर। कृपा पाने के बाद वे स्वच्छंद होकर आवाम को अपने अंगूठे के नीचे रखते थे। उनका अपना कानून चलता था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को एक विधान के तहत काम करना होता है। उनके पास कोई व्यक्तिगत या निरंकुश शक्ति नहीं होती। उनको मिले विशेषाधिकार सदनों के अंदर ही होते हैं बाहर नहीं। किन्तु आज के राजनेता को पुरानी दरबारी संस्कृति भाती है जिसमें कायदे कानूनों की नहीं उनकी मर्जी चलती हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी अचानक मिल गई। आजादी के बाद गणतांत्रिक व्यवस्था तो संविधान सभा ने बना कर दे दी, किन्तु नयी व्यवस्था के अनुरूप विवेकशील समाज और जागरूक नागरिक बनाने की पूरी तैयारी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को बाहर कर देने का नहीं था, समाज को बदलने का उद्यम भी था जिसमें हमारे सामान्य व्यवहार में लंबे समय से अंदर गहरे तक धंसी सामंती मानसिकता को जड़ मूल से उखाड़नाभी शामिल था। देशी रियासतों, शासकों, जागीरदारों तथा उनकी कुलीन व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नयी संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करना भी था। भारतीय गणतंत्र का ढांचा तो बन गया जिसे थामने के लिए संविधान ने एक दूसरे से स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे को बैलेंस करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाने की व्यवस्था की गई और जिन्हें जनहितकारी नीतियां बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों की ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक़ पार्टी आलाकमानों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संप्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व सांसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खुद को पहला और हम भारत के लोगों को दोयम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

कॉर्पोरेट जगत ने पत्रकारिता और राजनीति को भी अपने पाश में बांध लिया है। राजनीति के ऐसे नये माहौल में निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी राजा-महाराजाओं या सीईओ जैसा व्यवहार करने लगे हैं तो क्या आश्चर्य है। वे समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में निर्वाचित हो जाने पर अब वे ही कानून हैं। वे अपनी राजनीति को चमक देने के लिए कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े नज़र आते है।

भारतीय संविधान विधायकों और सांसदों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करता है। इन दायित्वों का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना, सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना होता है। कानून निर्माता होने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वे मुद्दे क्या होते हैं यह महत्वपूर्ण है। वे नीति संबंधी मुद्दे और समान न्याय आधारित विकास को सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं। विधायकों और सांसदों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार और प्रशासन की निगरानी करना भी होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे किसी संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से ऊपर हो जाते हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां सही तरीके से लागू हो रही हैं और जनता के हित में हैं। इसके लिए संसद तथा विधानसभाओं के मंच होते हैं जहां उन्हें अपनी बात पुरजोर और तर्कपूर्ण तरीके से रखने का मौका मिलता है। वे प्रश्न पूछकर, समिति रिपोर्ट की जांच करके और विधायिका में चर्चा करके सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। मगर पेशेवर नेताओं को सौम्य व्यवहार रास नहीं आता। वे सदनों में भी कार्यवाही को बाधित करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान और उसके तहत दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना कौन सिखाये, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न राजनीतिक दलों की अपने उम्मीदवारों की छवि की जगह उनमें वोट बटोरने की क्षमता में अधिक रुचि होती है ताकि वे बहुमत पा कर सरकार बना सकें। सत्ता पाने की वैसी ही दौड़ है जैसी कभी रियासती सत्ताओं के बीच होती थी। यह भी सच है कि मतदाता केवल आदर्शवाद या नायकत्व से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने नेताओं से लाभ पाने की भी उम्मीद करते है। अनेक नेताओं की रोबिनहुड जैसी छवि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। सरकार की जवाबदेही की तो संविधान में व्यवस्था है लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाता का अंकुश काम करता नज़र नहीं आता क्योंकि चुनाव में दलीय व्यवस्था में पार्टी संबद्धता के चलते मतदाता द्वारा अनेक बार नापसंद उम्मीदवार को भी समर्थन देते हमने देखा है। कुछ नेता अपनी लड़ाका छवि बनाकर अपनी जाति पर वर्चस्व जमा कर अपनी सामाजिक स्थिति, सामर्थ्य और नेटवर्क से राजनैतिक सौदेबाजी करते हैं। कईं नेता प्रशासन के लिए ही सिरदर्द नहीं होते बल्कि निजी संस्थानों के जबरन संरक्षक बनकर भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं जिससे उनके निजी कार्यकर्ताओं का गुजारा होता रहे। इनमें अनेक उत्साही और मुखर दिखने का प्रयास करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में दरारें भी डालते हुए भी पाते हैं। राजनैतिक दलों का यह दायित्व बनाता है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाये कि उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो क्योंकि विनम्रता और ईमानदारी लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

वर्तमान समय में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता– 1

भागचन्द जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत - शाश्वत- सनातन धर्म है। इस हुंडावसर्पिणी काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे एवं अन्तिम 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर है।

तेइसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष चले जाने के कुछ वर्षो के बाद भारत वर्ष में अनेक मत - मतांतर प्रचलित हो गए थे। उस समय मनुष्य भ्रांतिवश स्वर्ग प्राप्ति के लोभ में जीवित पशुओं को यज्ञ में बलि देते थे। बौद्ध धर्म की क्षिणक वादिता को अपना कर मन में संताप कर रहे थे। वैदांतियों के प्रपंच में पड़कर आत्म हित से परे हो रहे थे। धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। मिथ्यात्व का तिमिर घर कर गया था। ऐसे समय में कल्याण का मार्ग दिखाने वाले किसी उद्धारक की नितांत आवश्यकता थी। सृष्टि का क्रम जन मानस की आवश्यकतानुरूप हुआ करता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्व-पर के कल्याण मार्ग प्रशस्तक के रूप में सोलहवें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से इंद्र का इस धरा पर वर्धमान नाम से अवरोहण हुआ, जिन्हे तीर्थंकर महावीर के नाम से भी जाना जाता है।

जीवन परिचय–भगवान महावीर का जन्म 599 ई.पूर्व क्षत्रीय कुण्डाग्राम (कुण्डलपुर- वैशाली) वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी प्रियकारिणी (त्रिशला) था। महावीर के जन्म के समय स्वर्गलोक से जन्मोत्सव मनाने आए सौधर्म इंद्र ने बालक की शक्ति को अनुभव किया और वीर नामकरण कर दिया। महावीर के जन्म के साथ ही राज्य समृद्ध होने लगा एवं चारो ओर राज्य की कीर्ति फैलने लगी, इसे देखते हुए बालक का वर्धमान नाम रखा गया। कालांतर में दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों का शंका समाधान वर्धमान को देखते ही स्वत: ही हो गया, उन्होंने वर्धमान को सन्मति नाम से पुकारा। गजशाला के एक मदोन्मत्त हाथी को वश में करने पर अतिवीर कहलाए। संगम देव द्वारा भयंकर सर्प का रूप धारण कर वर्धमान की शूरवीरता की परीक्षा ली गई। सर्प को वश में कर लेने पर महावीर के नाम से जाने जाने लगे।

महावीर जन्म से ही आमजन के हितार्थ कार्यों में लग गए थे। महावीर समय के साथ धीरे-धीरे बढ़े होने लगे। उनकी समझ तो बाल्यकाल से ही अद्भुत थी। उन्हें अपने आत्म कल्याण की समझ आने लगी था। वे इस संसार को निस्सार मानते हुए भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं हुए और आत्म चिंतन में लीन रहने लगे। इस समय वर्धमान के विवाह के प्रस्ताव आने लगे लेकिन उन्होंने स्वीकार नही किया।

महावीर जब तीस वर्ष के थे, तब पिता राजा सिद्धार्थ ने उन्हें राज कार्य संभालने हेतु कहने पर महावीर ने कहा कि जिस जंजाल से वे स्वयं बचना चाह रहे है उसमें मुझे फंसाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। वे माता पिता को अपने प्रयोजन से संतुष्ट करने के बाद तीस वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। लगातार 12 वर्ष 5 माह एवं 15 दिन तक तप, संयम एवं साम्यभाव की साधना की, पंच महाव्रत आत्मसात किया। महावीर एक दिन ऋजुकूला नदी के किनारे आत्म ध्यान में लीन थे तब घातिया कर्मो का नाश कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सम्पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने समवशरण की रचना की। लेकिन गणधर के अभाव में, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्रभूति नामक ब्राह्मण के समवशरण में आने पर ही भगवान की दिव्य वाणी खिरी। इंद्रभूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम उपदेश में जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया।

इंद्रभूति ही भगवान के प्रथम गणधर बने जो गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थंकर के 10 और गणधर बने। इनके समवशरण में देव, नर, तिर्यंच गति के जीवों ने सदुपदेश प्राप्त किये। भगवान अर्ध-मागधी भाषा में तत्वों का उपदेश करते थे और गौतम गणधर उसे ठाहण करते थे। एक बार समवशरण में गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि, भंते! दो व्यक्ति है, एक तो दिन रात आपकी भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसे जन सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति वह है जो दिन रात जन सेवा में लगा रहता है, जिसके पास आपकी भक्ति के लिए समय ही नहीं है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? धन्य है? पुण्यशाली है? महावीर ने समाधान किया कि श्रेष्ठता नाम रटने में या पूजा-अर्चना करने में नही, मेरी आज्ञा पालन करने में है। समवशरण में ही राजा श्रेणिक ने भी 60000 प्रश्न पूछे थे। इन्ही आधार पर ग्रंथो की रचना हुई, जिसे हम द्वादशांग जिनवाणी कहते है।

महावीर ने 30 वर्षों तक देश के विविध अंचलों में पद विहार कर संत्रस्त मानवता के कल्याण हेतु अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य धर्म को आम जन में प्रसारित किया। रत्नत्रय की अवधारणा से परिचित कराया। पूर्णज्ञानी योगी भगवान महावीर ने वैदिकी हिंसा- कर्मकांड, पशुबलि तथा अन्य कुरुतियों को बंद कराया। भगवान महावीर धर्म का प्रचार करते-करते पांवापुर आए, वहां योग- निरोध कर आत्मध्यान में लीन हो विराजमान हो गए। अघातिया कर्मो का नाश कर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रात:काल के समय 72 वर्ष की अवस्था में, ईसा से 527 वर्ष पूर्व निवार्ण प्राप्त किया। इस दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जाता है।

भगवान महावीर एक विलक्षण - सम्पूर्ण जीवन दृष्टा थे।

1. उन्होंने कर्म सिद्धांत को अपनाया, कर्म करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कर्म की प्रधानता की अवधारणा को जागृत किया। यह संदेश दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। स्व कल्याण के लिए व्यक्ति स्वयं सक्षम है। मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता होती है। यह संदेश दिया कि हमारे सुख-दुख के लिए हम स्वंय ज़िम्मेदार है। हमारे द्वारा किये गये कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमे इस जन्म में एवं इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है।

2. ईश्वर की सत्ता की जगह हम सब में ईश्वर बनने की क्षमता का संचार किया। मनुष्य स्वयं अपना कर्त्ता है। यह सृष्टि अनादि, अनंत है एवं कर्म सिद्धांतो पर चलती है। फल देने का या दंडित करने का कार्य ईश्वर का नहीं है। हम जानते है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी फीड किया जाता है, परिणाम तदनुरूप ही आता है। तीर्थंकर महावीर ने अप्पा सो परमप्पा का उपदेश देकर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीव और आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया। गुणों की अपेक्षा से पूर्ण विकसित आत्मा ही परमात्मा है। अन्य किसी भी धर्म में मनुष्य को अपने कर्म फल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अन्य धर्मों में ईश्वर अवतार लेता है एवं उसे कर्त्ता एवं फल प्रदाता माना गया है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने अनुभव से जान सकते है कि कर्म सिद्धांत स्वत: अपना कार्य करते है। भगवान महावीर ने सांसारिक सुख की प्राप्ति एवं साथ ही मोक्षमार्ग पर चलने हेतु श्रावकों को पंच अणुव्रत एवं श्रमणों को पंच महाव्रत (निम्न 3-7) के सिद्धांत अपनाने पर जोर दिया। स्व कल्याण के साथ, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण भी संभव है।

3. अहिंसा व्रत- भगवान महावीर ने अहिंसा के सूक्ष्मतम रूप का व्यापक विश्लेषण किया है। अहिंसा को जीवन शुद्धि का आधार बताया है। अहिंसा परमो धर्म:, अहिंसा ही महान धर्म है। महावीर के जीओ और जीने दो के सूत्र में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। यह कथन आत्म-साक्षात्कार और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। एक मात्र इसी सिद्धांत की पालना से हम विश्व बंधुत्व की परिकल्पना साकार कर सकते है। इसका विश्लेषण करते है तो जानते है कि स्वयं के जीवन के बारे में सोचने में ही किसी अन्य के जीवन की अनुभूति अंतर्निहित है। हम यदि वास्तविकता में स्वयं अच्छा जीवन जीना चाहते है तो हमे न केवल आसपास बल्कि सभी के हितों का ध्यान रखना होगा तभी स्वयं का जीवन निरापद होगा। अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी का घात न करना, अपशब्द न बोलना तथा मानसिक रूप से किसी का अहित न सोचना। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो दुर्भाव का अभाव तथा समभाव का निर्वाह ही अहिंसा है। अहिंसा सहअस्तित्व, सहिष्णुता की भावना का प्रतीक है। किसी के प्रति मन मे बुरे विचार आना, बदले की भावना से सोचना आदि को भी हिंसा की श्रेणी मे माना गया। विचारो से ही हमारी मनस्थिति विकसित होती है एवं तदनुसार हम प्रतिक्रिया देते है। शान्तिपूर्ण जीवन के लिए अहिंसात्मक आचरण की आवश्यकता है। जीने का अधिकार प्राणी मात्र को है। सभी को जीने का अधिकार है। किसी दूसरे के अच्छे जीवन की कामना से ही स्वयं का जीवन ख़ुशहाल हो सकता है, यही सत्य है। मन, वचन और कर्म से अहिंसा को आत्मसात करने का संदेश स्थाई शान्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने किसी और पर विजय प्राप्त करने की बजाय, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

अहिंसा पालन जैन धर्म का एकाधिकार नहीं है, शीर्ष मार्ग दर्शक जरूर है। वर्तमान में इस सिद्धांत की पालना केवल सीमित व्यक्तियों द्वारा ही की जा रही है। यदि संसार के तथाकथित शक्ति के केंद्र जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के ऊपरी आवरण का भी पालन कर ले या समझ भी ले तो रूस एवं यूक्रेन, चीन एवं ताईवान, फिलिस्तीन (हमास) एवं इजराइल, आदि देशों के बीच जारी भीषण विभित्सिका को रोका जा सकता है। युद्ध का अंत अवश्यंभावी है, लेकिन महावीर के सिद्धांत अहिंसा से ही संभव है। हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। जैसे कि कुछ मानव मूक पशु-पक्षियों को मारकर खाना अपना अधिकार समझते है। यदि ऐसा है तो मानव अपने से निर्बल व्यक्ति को अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु मारने में एवं एक शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश को नष्ट करने मे नहीं हिचकिचायेगा और ये क्रम चलता रहेगा। इसका अन्त अन्तत: सृष्टि के विनाश के रूप में होगा। लेकिन महावीर ने सह अस्तित्व की अवधारणा को जन्म देकर इस सृष्टि को विनाश मार्ग पर जाने से बचा लिया, क्योंकि वर्तमान मे बहुत से लोग भगवान महावीर के सिद्धान्तों का येन केन प्रकरेण पालन करते है।

दूसरों का बुरा चाहकर कोई भी अपना भला नहीं कर सकता है। भगवान महावीर की अहिंसा के अमोघ हथियार को महात्मा गाँधी ने अपनाया और भारत को शक्तिशाली अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त कराया। कई धर्मों में अहिंसा धर्म बताया गया है लेकिन जिस सूक्ष्मता के साथ महावीर ने अहिंसा का स्वयं पालन किया है और ज्ञान दिया है, वह समुचित है।

4. सत्य व्रत - जो वस्तु जैसी है, उसे वैसा ही मानना सत्य है। अहिंसा के बाद सत्य का क्रम आता है। सत्य का अर्थ सत् शब्द से आया है जिसका मतलब है वास्तविक होना, वस्तु स्थिति, तथ्य से अवगत होना। सत्य विपरीत मिथ्यात्व इस संसार में भ्रमण का कारण बनता है। अपने निरीह स्वार्थ के कारण सत्य का साथ नहीं छोड़ना, व्यक्ति को जिम्मेदार और विश्वसनीय बनाता है और अंततोगत्वा वह आदर का पात्र बन जाता है। सत्य का शाब्दिक अर्थ सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में धारण करके ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है।

(शेषांश कल के अंक में)

संकलन–भागचंद जैन मित्रपुरा,
पूर्व सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक,
अध्यक्ष, अ.भार. जैन बैंकर्स फोरम, जयपुर पूर्व कंसल्टेंट एसबीआई लाइफ

केसरीसिंहपुर पालिका में चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से ईओ और बाबू ने पट्टा जारी किया

- **पालिका चेयरपर्सन ने वसूल की गई 66,917 की राशि के स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 24 हजार कुछ रुपए ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन का भी आरोप लगाया**

श्रीगंगानगर, (निसं)। केसरीसिंहपुर नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी व ऑफिस के बाबू पर फर्जी तरीके से पट्टा जारी करने व इस पट्टे पर चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर करने का चेयरपर्सन सुमिता रानी ने आरोप लगाया है। चेयरपर्सन ने इस मामले में वसूल की गई 66,917 रुपए की राशि के स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 24 हजार कुछ रुपए ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन करने का भी आरोप लगाया है। अब इस मामले में ईओ ने अपना बचाव करते हुए बाबू के कार्यकाल में रिकॉर्ड की जांच के लिए निकाय विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा है।

नगरपालिका केसरीसिंहपुर में अपने 96 गुणा 37 फीट के प्लाट का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया गया। इस पत्रावली को बाबू व ईओ ने आगे बढ़ाते हुए डीएलसी दर की गणना कर 66,915 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद पत्रावली में राशि जमा होना दर्शाते हुए पट्टा जारी करने के लिए पत्रावली चेयरपर्सन सुमिता रानी के पास भेजी गई। प्लाट का नक्शा टाउन प्लानर से पास नहीं होने के कारण चेयरपर्सन ने इस पट्टे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुपचुप चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर चेयरपर्सन ने ईओ से इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं करवाई गई तो चेयरपर्सन ने पट्टा संबंधी रिकॉर्ड मंगवाकर देखा तो उस पर चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर थे।

राशि जमा होने संबंधी रिकॉर्ड देखा तो उसमें सिर्फ 22 हजार कुछ रुपए ही सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना पाया गया। ईओ ने इस मामले में अपना बचाव करते हुए अब पट्टा जारी किए जाने वाले समय तैनात रहे बाबू मुकेश कुमार के कार्यकाल में रिकॉर्ड की जांच करवाने के लिए निकाय विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा है। नगरपालिका में तत्कालीन ईओ के कार्यकाल में चेयरपर्सन सुमिता रानी के पति जवाहर अग्रवाल ने गोल्डन सिटी में क्रय किए 25 फीट गुणा 60 फीट साइज प्लाट का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया। इसमें 42,000 रुपए की राशि का डिमांड नोटिस जारी कर राशि जमा करवाई गई तथा पट्टा भी जारी कर दिया गया। एक पट्टे में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद चेयरपर्सन ने अपने पति के नाम से जारी पट्टे की जमा राशि का रिकॉर्ड देखा तो राशि जमा ही नहीं होना पाया गया। अब इस मामले की शिकायत निकाय विभाग से की है।

अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा ने बताया कि पालिका चेयरपर्सन ने इस मामले से अवगत करवाया है। इस मामले में कमेटी गठित कर कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार के कार्यकाल में दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए निकाय विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है।

तत्कालीन कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार ने बताया कि लिपिकीय भूल से कोई चूक हो गई होगी। पुराना मामला है। मेरे संज्ञान में नहीं है। नगरपालिका से पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरा स्थानांतरण हो गया।

चेयरपर्सन सुमिता रानी का कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी करने का मामला पकड़ में आया है। साथ ही डिमांड नोटिस के अनुसार वसूल की गई राशि भी सरकारी खजाने में जमा नहीं है। अधिशासी अधिकारी व बाबू की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर गबन किया गया है। जो पट्टा मेरे फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उस पर अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा के हस्ताक्षर हैं। पालिका में बीते वर्षों में किए गए भ्रष्टाचार व गबन मामले की जांच के लिए निकाय विभाग के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है।

रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेण्डर व रीफीलिंग उपकरण जब्त किये

उदयपुर, (कासं)। रसद विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर घरेलू गैस सिलेण्डर और रिफीलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए हैं।

जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में अवैध एलपीजी रिफीलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से जान-माल की क्षति एवं घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग के कारण होने वाली राजस्व हानि तथा गैस सिलेण्डरों की अवैध भण्डारण की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी डॉ. निशा मून्दड़ा प्रर्वतन व प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. कोमल सिंह सोलंकी द्वारा उदयपुर शहर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच की। विजय गैस स्टेशन गणपती नगर पर पांच घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर मय रिफीलिंग मशीन एवं मातेश्वरी गैस सर्विस सविना से 10 गैस सिलेण्डर एवं गैस ट्रांसफर करने हेतु प्रयोग में लाने जाने वाला बांसुरी उपकरण भी जब्त किया गया।

परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला

मसूदा, (निसं)। मसूदा क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़, केरिया व चावण्डिया के ग्रामीणों ने परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन को लेकर हाल ही में बनी ग्राम पंचायत को लेकर आसपास के ग्रामीण गांव को अदला-बदली के चलते लामबंद हो गए। सतावड़िया केरिया एवं श्यामगढ़ के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 9 अप्रैल, 2025

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र प्रात: 9:57 तक, गंड योग सायं 6:25 तक, बव करण दिन 10:04 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग दिन 9:57 से रात्रि 10:56 तक है। आज प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 10:55 से 12:28 तक, चर 3:36 से 5:10 तक, लाभ 5:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:44

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल